allowances with their counterparts in Air India stands referred to the National Industrial Tribal appointed by the Government.

होटल उद्योग को प्रोत्साहन

927. **डा० अबरार अहमद :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस पर्यटन वर्ष के दौरान होटल उद्योग को दिये जाने वाले प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यद्यपि होटल एक उद्योग है, तथापि इसका निर्माण वाणिज्यिक भूमि पर नहीं किया जा सकता है और क्या सरकार इस संबंध में नियमों की जांच कर उनमें संशोधन करेगी ताकि वाणिज्यिक भूमि पर होटलों का निर्माण किया जा सके ; और

(ग) वर्तमान में किस-किस वर्ग की भमि पर होटलों का निर्माण किया जा सकता है और इस संबंध में राजस्थान में क्या नियम हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) एक विवरण दिया गया है। (नीचे रखिये)

(ख) और (ग) भूमि के मामले जिसमें होटलों के लिये भूमि भी सम्मिलित है, राज्य का विषय है । होटलों के लिये भूमि की उपलब्धता संबंधी समस्याओं को समय-समय पर संबंधित राज्य सरकार के साथ उठाया जाता है । राजस्थान राज्य में वाणिज्यिक भूमि और होटल के प्रयोग के लिये विशेषत: निर्धारित स्थलों पर होटलों का निर्माण किया जा सकता है ।

विवरण

(1) **कर में छूट :**

होटलों की विदेशी मुद्रा आय में से 50% पर आय-कर से सीधी छट मिल जाती है और शेष 50% पर भी छूट मिलती है बशर्ते उसे फिर से पर्यटन उद्योग में लगाया जाये ।

31-3-1990 के बाद परन्तु 1-4-1995 से पहले खुलने वाले अनुमोदित होटल कर से छुट्टी की कटौतियां पाने के पात्र हैं । यह कटौती लाभ के 25 से 30% की रेंज में दस वर्ष के लिये मिलती है ।

होटल उद्योग और पर्यटन संबंधी अन्य कार्यकलापों में नई इक्विटी में 25,000/- रुपये तक के शेयरों की लागत के 20 प्रतिशत की राशि के बराबर कर पर कटौती दी जाती है।

टी एफ सी आई, आई एफ सी आई, आई डी बी आई और आई सी आई सी आई भी विदेशी मुद्रा आय की राशि पर 20% ब्याज की रिबेट देते हैं बशर्ते कि 5 स्टार होटलों के माल में 50% से अधिक व्यापार विदेशी मुद्रा में किया जाये ; और 3 अथवा 4 स्टार होटलों के मामले में 25% व्यापार विदेशी मुद्रा में किया जाये ।

पर्वतीय क्षेत्र, अथवा एक ग्रामीण क्षेत्र अथवा एक तीर्थस्थान और ऐसे किसी स्थान पर जिसे सरकार विनिर्दिष्ट करती है, नये अनुमोदित होटलों को (1-4-1991 से) 10 वर्ष की अवधि के लिये व्यय-कर से छूट दी जायगी । इन होटलों को आय कर में भी 50% की छूट दी जायेगी । यह रियायत उन पात्र होटलों को उपलब्ध होगी जो 31 मार्च, 1994 से पहले पहले कार्य करना प्रारंभ कर देंगे, (इस संबंध में नियम तैयार किये जा रहे हैं और एक गजट अधिसूचना के साथ ही लागू हो जायगे)

(2) **मूल्यह्रास :**

2-4-1987 से (कर निर्धारण वर्ष 1988-89) होटल भवन 20% की दर से मूल्यह्रास पाने के पात्र होंगे । होटलों में प्रयोग में आने वाले फर्नीचर एवं फिटिंग्स पर 10% की सामान्य

दर की तलना में 15% की उच्चतर दर से मूल्यह्रास दी गई है ।

(3) ब्याज इमदाद :

अनुमोदित परियोजनाओं के लिये, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई एफसीआई) भारतीय पर्यटन वित्त निगम (टी एफ सी आई) और राज्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा मंजूर किये गये ऋणों पर ब्याज इमदाद दी जाती है। 4 और 5 स्टार श्रेणी के होटलों को एक प्रतिशत ब्याज इमदाद दी जाती है जिसकी अधिकतम सीमा 75 लाख रुपये है और एक से तीन स्टार श्रेणी के होटलों को उनकी समूची ऋण राशि पर 3% की ब्याज इमदाद दी जाती है।

(4) विदेशी मुद्रा आय प्रोत्साहन कोटा :

अनुमोदित होटल विदेशी मुद्रा प्रोत्साहन कोटा के पात्र हैं जो कि उनकी प्रत्यक्ष विदेशी मुद्रा आय का 10% होता है । यह कोटा वाहनों, विदेशों की संवर्धनात्मक यात्रायें करने वहां प्रचार तथा विज्ञापन, आदि सहित आवश्यक आयातों के लिये उपलब्ध है। इसके अलावा, पूर्ववर्ती वर्ष की विदेशी मुद्रा आय का 2.5% पर्यटन संवर्धन और विदेशों की यात्रा करने के लिये अवमुक्त किया जा सकता है जिसकी अधिकतम सीमा 15 लाख रुपये होगी ।

(5) रियायती सीमा-शुल्क :

विनिर्दिष्ट मदों पर सीमा-शुल्क को परियोजना आयात पर यथा लाग सीमा तक कम कर दिया गया है बशर्ते कि आयात किये जाने वाले सामान की जरूरत होटल की प्रारंभिक स्थापना करने अथवा बाद में होटल का विस्तार करने के लिये हो। इसमें रसोईघर, हैल्थ क्लब, लांड्री, हाउस कीपिंग के लिये उपकरण, ऊर्जा बचाने के यंत्र शामिल हैं।

अनुमोदित होटलों के मामले में सीमेंट, स्टील जैसी निर्माण सामग्री, टैलेक्स, टेलीफोन, एलपीजी कनैक्शनों को आबंटित करने में भी प्राथमिकता से विचार किया जाता है।

Appointment of loaders in Indian Airlines

928. MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI: Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 936 given in the Rajya Sabha on 9th September, 1991 and state:

(a) whether it is a fact that 35 loaders were appointed in the Indian Airlines in October, 1989;

(b) if so, from which selection list panel those were appointed as the validity of the 1986 panel had lapsed in 1988;

(c) what are the reasons for not forming fresh panel for appointment of loaders in 1988 as there were vacancies for appointment which is evident from the fact that 35 candidates from 1990 panel were appointed; and

(d) what steps are being taken to absorb the candidates who were empanelled in 1986 panel and were eligible for re-empanelment in 1988 (had it taken place) but became overaged for 1990 panel?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI MADHAV RAO SCINDIA): (a) to (c) In reply to Unstarred Question No. 936 in the Sabha on 9.9.1991, it was inadvertantly stated that the validity of the panel formed in 1986 for the post of loaders in Indian Airlines (Northern Region) had lapsed in 1988. In view of the time and expenses involved in forming a fresh panel and availability of sufficient number of candidates from the 1986 panel its validity was extended for a period of 1½ years by Indian Airlines and it finally expired on 14.11.1989. 34 candidates from this panel were offered appointment in